



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
आयोग भवन, हरिद्वार-249404



(01334) 244143
(01334) 244282 (FAX)

विज्ञापित संख्या :: 203 / 30 / E-1 / DR (ES) / 2016-17

दिनांक: 01 सितम्बर, 2019

शुद्धि-पत्र

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा-2018

(Economics and Statistics Officer Exam- 2018)

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	23 सितम्बर, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क NetBanking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	23 सितम्बर, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 को प्रकाशित किया गया था। शासन द्वारा सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में कुल 14 पदों के सापेक्ष आरक्षण की गणना करते हुए आयोग को संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 में विज्ञापित 14 पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् संशोधित हो गया है :-

आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
		महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	पूर्व सैनिक	निःशक्तजन (विकलांग)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
अनारक्षित	08	02	-	-	-
अन्य पिछडा वर्ग	02	01	-	-	-
अनु0 जनजाति	01	-	-	-	-
अनुसूचित जाति	01	-	-	-	-
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	01	-	-	-
योग	14	04	-	-	-

01. शासन द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल रिक्त 14 पदों में, उर्ध्वार्धर श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 02 रिक्तियाँ आरक्षित कर दिये जाने के फलस्वरूप, आयोग द्वारा अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 में विज्ञापित शर्तों के क्रम में, शासन द्वारा जारी सुसंगत शासनादेशानुसार **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी** से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

02. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थी** अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 का आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर अवलोकन करें तथा विज्ञापन की शर्तों का भली-भाँति अवलोकन करने के पश्चात्, वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रदत्त लिंक का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क **रु0 150/-** तथा **प्रोसेसिंग शुल्क**

रु0 35.40/- सहित शुल्क 185.40/- NetBanking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करना अनिवार्य है।
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने व परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर, 2019 है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र का प्रिन्टआउट निकालकर भविष्य में प्रयोग हेतु सुरक्षित रख लें।

03. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु पूर्व में ही ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से आच्छादित होने के कारण, इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन्हें पूर्ववर्ती आवेदन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी को चुनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर प्रदत्त लिंक का प्रयोग करते हुए पूर्व में भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का चयन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में पूर्व में दावित श्रेणी तदनुसार परिवर्तित हो जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत विचारित किया जायेगा। **इस प्रकार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर, 2019 है तथा अभ्यर्थी को पृथक से परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का चयन करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में उपरोक्तानुसार किया गया श्रेणी परिवर्तन, आवेदन-पत्र के प्रिन्टआउट में अभी परिलक्षित नहीं होगा। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का चयन करने वाले अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र का प्रिन्टआउट अन्तिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद निकालें।

04. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी का दावा सम्यक् रूप से विचारण के पश्चात् यह सुनिश्चित हो जाने पर ही करें कि वह शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर, 2019 तक शासनादेश सं0-123/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र धारित करते हों।

05. उक्त अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 में उल्लिखित अधिकतम आयुसीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

06. शेष अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु पूर्व में ही ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है।

07. अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: A-1/ESO(DR)/E-1/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 की शेष समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

08. विज्ञापनों के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत चयन में मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा की सम्भावित तिथि **03 नवम्बर, 2019 (रविवार)** है।

Sd-

(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।